रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1970/भाद्र 13, 1892

No. 322] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1970/BHADRA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 4th September 1970

S.O. 2973.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following Order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in the following essential services, namely:—

Services connected with the operation, repair or maintenance of aircraft of Air India and Indian Airlines.

[No. F. 20-AC(29)/70.]

N. SAHGAL, Secy.

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1970

का० आ० 2973.—यतः केन्द्रीय सरकार को विश्वास हो गया है कि लोकहित में निम्नलिखित आदेश जारी करना आवश्यक है :

अतः, अब, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59 वां) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल का निषेध करती है, अर्थात् :—

एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के परिचालन, मरम्मत, अथवा अनुरक्षण से संबद्ध सेवायें ।

[सं० फा० 20-ए०सी०(29) 70.]

एन० सहगल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970